

**न्यायालय समाहती सह जिला दंडाधिकारी, पटना**


आदेश की  
क्रम संख्या  
एवं तारीख

आदेश और प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर  
~~अपील नं० १२०/१७-१८~~  
नारा रेशनी बनाम राज्य एवं सुशीला कुमारी

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

1

7-8-21 अपीलकर्ता अनुपस्थित / विपक्षी व्यवस्थित /  
निम्न न्यायालय का नोटिसेस एवं विपक्षी का  
का प्रत्युत्तर पूर्व में प्राप्त / अपीलकर्ता को  
दिनांक 5-7-21 को नोटिस मौका दिया गया  
था / अपीलार्थ .  
पेनावनी के बाद भी अनुपस्थित / अतः स्वतः  
वैधित्य / अपीलार्थी की अभिलेखि के अभाव  
में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।  
निम्न न्यायालय का आदेश को सम्पुष्ट  
किया जाता है।

  
न्यायाधीश  
समाहती

3